



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 07.08.2026

- थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या का प्रयास करने के सम्बन्ध में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त 01 हंसिया के साथ किया गया गिरफ्तार।
- विधि का उल्लंघन करने वाले 01 बालअपचारी को भी निगरानी में लेते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.08.2026 को समय करीब 08.30 बजे वादी श्री नवनीत सचान पुत्र श्री अजीत सिंह सचान निवासी ग्राम गुरुगाँव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के पिता अजीत सिंह सचान अपने खेत पर बोई तिली की फसल की देखभाल करने जाने तभी अभियुक्त रवि पुत्र छोटेलाल उर्फ बैराठी निवासी ग्राम गुरुगाँव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात व 01 बालअपचारी उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा वादी के पिता के खेत में घास काटने के साथ तिली के पौधों को नुकसान पहुंचाने तथा वादी के पिता द्वारा मना करने पर अभियुक्त रवि उपरोक्त द्वारा वादी के पिता को पीछे से जकड़ लेने तथा बालअपचारी उपरोक्त द्वारा वादी के पिता के पेट में हंसिया मार देने जिससे वादी के पिता गंभीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 05.08.2026 को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 266/2026 धारा 109(1) बीएनएस बनाम 1. रवि पुत्र छोटेलाल उर्फ बैराठी निवासी ग्राम गुरुगाँव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात व 01 बालअपचारी पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 07.08.2026 को वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र छोटेलाल उर्फ बैराठी निवासी ग्राम गुरुगाँव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को बढौली मोड के पास हाइवे पर, थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया तथा विधि का उल्लंघन करने वाले उपरोक्त बालअपचारी को निगरानी में लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बालअपचारी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/बालअपचारी का विवरण-

1. रवि कुमार पुत्र छोटेलाल उर्फ बैराठी निवासी ग्राम गुरुगाँव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 24 वर्ष,
2. विधि का उल्लंघन करने वाला बालअपचारी, उम्र 16 वर्ष,

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त 01 हंसिया,

गिरफ्तार/निगरानी करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह
2. हे0कां0 365 पुष्पेन्द्र सिंह
3. हे0कां0 308 राघवेन्द्र सिंह
4. कां0 1302 धनंजय सारस्वत
5. का0 743 पवन कुमार (सादे वस्त्रों में)